तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म ... में जारी
7/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी भगवतीलाल की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का विपक्षी गणेशलाल, तिलकराज, मनीषकुमार, कैलाश देवी व श्रीमती खुशबू के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम डूंगला पटवार मण्डल डूंगला के खाता संख्या 133 नकल जमाबंदी सम्वत 2077 में वर्णित आ.चाह आराजी नम्बर 2378/327 रकबा 0.500 हैक्टे. एवं आराजी नम्बर 36 रकबा 0.9000 है. भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 व 2 व सहखातेदार के नाम संयुक्त खातेदारी की होकर इनके स्वामित्व कब्जे काश्त की है जो स्व. कालूलाल के समय से चली आ रही है जिसमें प्रार्थी का 1/6 हक हिस्सा है। प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 व 2 व अन्य सहखातेदारान के मध्य विधि के अनुसार कोई विभाजन नहीं होने से प्रार्थी ने विभाजन हेतु वादपत्र प्रा. पत्र के साथ प्रस्तुतकर मौके पर नपती करते हुए कब्जा को बराबर करते हुए आराजी सं. 36 में से 1/6 हक हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार विभाजन चाहा गया है। तथा आराजी संख्या 36 रकबा 0.9000 है. भूमि के किसी हिस्सा विशेष को विक्रय नहीं करने हेतु, अपरिचित व्यक्तियों को कब्जा नहीं देने हेतु, मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति [illegible] का विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] आदेश चाहा गया है। [illegible] पत्र को बाद [illegible] दर्ज रजिस्टर [illegible] विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 5 तक की ओर से श्री[illegible] वन्दना उदावत अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल प्रार्थी वकील को दिलाई गई। विपक्षीगण ने जवाब में अवगत कराया गया कि ग्राम डूंगला के खाता संख्या 133 में वर्णित आराजी खा. नं. 2378/327, रकबा →	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.11.07 14:27:46 IST
Reason: SelfAttested

FROM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला मुकाम डूंगला किस्म मुकदमा 212 RTA
भगवतीलाल बनाम गणेश लाल
नं. 68/2025 सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	0.0500 है. आ. चाह एवं आराजी सं. 36 रकबा 0.9000 है. भूमि होना स्वीकार कर मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का आपसी बंटवारा होकर मौके पर सभी अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। प्रार्थी सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज नहीं होकर केवल अपने हिस्से पर ही काबिज है। मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पास अपना-अपना हिस्सा पारिवारिक होकर बराबर के अनुपात में मौके पर कायम होकर आपसी सहमति से अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 5 तक उक्त भूमि के सहखातेदार होकर मौके पर सभी आपसी मौखिक सहमति से अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। सभी सहखातेदारों को हक हकूक प्राप्त होने व वादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की है इसलिए कानून व नियमानुसार प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 5 तक के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश जारी कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से लगायत 5 तक स्व. कालूलाल के विधिक वारिसान है और विवादित आराजी का उपयोग उपभोग कर रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है। प्रार्थी संयुक्त खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में संयुक्त खातेदारों के विरुद्ध कोई अस्थायी निषेधाज्ञा →	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with OKEN Scanner

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का स्थगन आदेश जारी करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर॰ टी॰ ए॰ का निरस्त किया जावे इस पर वकील उभय पक्ष की बहस को सुना गया पत्रावली का एवं संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा गहनता से अध्ययन किया गया तत्पश्चात पाया गया कि मौजा डूंगला पटवार मण्डल डूंगला के खाता संख्या 133 में वर्णित आराजी नम्बर 2378/327 रकबा 0.0500 है॰ एवं आराजी नम्बर 36 रकबा 0.09000 है॰ भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी का 1/6 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है, प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश चाहा गया है। जबकि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। विपक्षी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का जारी किया जाना न्यायसंगत नहीं पाया जाता है, प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] धारा 212 आर॰ टी॰ ए॰ का [illegible] किया जाता है। [illegible] बाद तामील [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] शुमार होकर रिकॉर्ड से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.11.07 14:27:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner